हुक्म या कार्यवाही विवरण मय इन्शियल जज

पमावली पेश हुई। वादीगण एवं वादीगण
अधिवक्ता अनुपस्थित। वादीगण एवं वादीगण
अधिवक्ता को बार-बार आवाजें लगवाई गई
परन्तु इनकी ओर से आस्तलतन व वकालतन
कोई हाजिर नहीं आया है। लिहाजा वादीगण
बाद अदम हाजरी। अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। पमावली बाद निर्जय वापस
रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरगढ़ (बीकानेर)